राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, गुरुवार, 12फरवरी 2026
वर्ष 14, अंक 293, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

युवक की मौत मामले में तीन पर हत्या का केस दर्ज तालाब में मिला था शव..03

आदिवासी छात्रवास निर्माण में भू-माफिया बने बाधा, निर्माण कार्य रुकवाकर मजदूरों को दी धमकी..04

स्वतंत्र प्रभात
जो लिखेगा, वही टिकेगा , वही दिखेगा

स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अखबार, पत्रिका एवं ऑनलाइन चैनल में काम करने हेतु अनुभवी लोगों की आवश्यकता है।

जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरोचीफ, संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें।

अपना बायोडाटा भेजे : 9511151254

www.swatantraprabhat.com www.epaper.swatantraprabhat.com

आप पूर्व कांग्रेसी हैं...संसद में जब चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल और राहुल गांधी के बीच चली बहस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल के बीच हल्की-फुल्की बहस हुई. दरअसल, जगदंबिका राहुल को टोक रहे थे, जिसके जवाब में राहुल ने कहा कि आप पूर्व कांग्रेसी हैं. जगदंबिका पाल ने इसपर कहा कि आप मेरी बात मानते तो उधर नहीं बैठते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भाषण दिया. लंबे विवाद के बाद उनका ये संबोधन हुआ. राहुल ने अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार को घेरा. उन्होंने बजट पर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया. राहुल जब बोल रहे थे तो चेयर पर बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल बैठे थे. इस दौरान दोनों के बीच हल्की-फुल्की बहस भी हुई. दरअसल, जगदंबिका राहुल को टोक रहे थे, जिसके जवाब में राहुल ने कहा कि आप पूर्व कांग्रेसी हैं. जगदंबिका पाल ने इसपर कहा कि आप मेरी बात मानते तो उधर नहीं बैठते.

कांग्रेस स्क्करहुल गांधी ने कहा, आप (जगदंबिका पाल), कांग्रेस के पुराने मेंबर हैं, इसलिए मैं आज एक खास एहसान करूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा. आप जानते हैं कि हमें आपसे प्यार है. हम जानते हैं कि आपका दिल वहां नहीं है, आपका दिल यहां है. इसपर जगदंबिका पाल ने कहा कि मैं यहां प्रीसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर हूं. आप मेरी बात मानते तो आप वहां नहीं बैठते.

बता दें कि जगदंबिका पाल 2014 तक कांग्रेस में हुआ करते थे. उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था. वह यूपी के सीएम भी रह चुके हैं.

राहुल ने क्या-क्या कहा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है. उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया

कि भारत-अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा.

कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट के समांतर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है. राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका और चीन के बीच मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत का डेटा है. अगर अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है और डॉलर की रक्षा करना चाहता है तो अमेरिकियों के लिए भारत का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है.

कांग्रेस नेता ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या त्रासदी है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह ताकत है. राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार होती और व्यापार समझौते की बात करती तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कहते कि आप के डॉलर की सुरक्षा करने की सबसे बड़ी पूंजी (डेटा) भारतीय लोगों के पास है.

कांग्रेस नेता ने बताया वो क्या करते

राहुल ने कहा कि हम बराबरी पर बात करते. हम कहते कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम आपके नौकर हैं. हम अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहते कि हम अपने ईंधन की रक्षा करने जा रहे हैं. हम यह भी कहते हैं कि आप अपने किसानों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे. कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में शुल्क पहले तीन प्रतिशत के आसपास था, जो अब 18 प्रतिशत हो गया है यानी छह गुना बढ़ोतरी हो गई है. राहुल गांधी ने कहा, वहीं, अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क 16 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया.

उन्होंने दावा किया, अब यह होगा कि अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीदेंगे और भारत के प्रधानमंत्री मोदी फैसला नहीं करेंगे. उन्होंने दावा किया, हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं...आपने हमारे किसानों को कुचले जाने का रास्ता खोला है. आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और आगे भी कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा..

दिल्ली में 'लाडली योजना' बंद, अब 'लखपति बिटिया' की शुरुआत, जानें कैसे मिलेगा लाभ

● दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 31 मार्च तक लाडली योजना को बंद कर दिया जाएगा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने बेटियों से जुड़ी एक बड़ी योजना में बड़ा बदलाव करने का एलान किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 31 मार्च तक लाडली योजना को बंद कर दिया जाएगा। अब 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सरकार की ओर से बेटियों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता दी जा सकेगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि लाडली योजना 2008 में लाडली योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत अलग-अलग चरणों में कुल 36 हजार रुपये बैंक में जमा किए जाते थे और यह राशि मेच्योरिटी पर मिलती थी। हालांकि, इस योजना के तहत 1 लाख 86 हजार खाते अनक्लेम्ड रह गए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने जब इस गड़बड़ी की तह तक जाना शुरू किया तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने लगभग 30 हजार बच्चियों को खोजकर 90 करोड़ रुपये उनके खातों में ट्रांसफर किए।

अब 12वीं तक नहीं, बल्कि ग्रेजुएशन तक मिलेगा लाभ

सीएम ने बताया कि इसके अलावा अब 41 हजार और बच्चियों की पहचान की गई है, जिनके हक का करीब 100 करोड़ रुपये का फंड एक साल पूरा होने पर जारी किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर सरकार करीब 190 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दे रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब नई दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

इस योजना की राशि 36 हजार से बढ़ाकर 56 हजार रुपये की जाएगी. लाभ अब 12वीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रेजुएशन तक मिलेगा। मॅच्योरिटी पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।

संक्षिप्त ख़बरें

पास्को एक्ट व अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़ पुलिस ने पास्को एक्ट व अपहरण के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र के पकड़ी ग्रामपंचायत के टोला डफालीडीह के रहने वाले शिवकुमार के ऊपर नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज था।जिसकी तलाश की जा रही थी।मंगलवार पुलिस ने आरोपी को नाबालिग बालिका के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एसआई बलिराम गौड़,आरक्षी पवन कुमार मौर्य व महिला आरक्षी जूही सिंह मौजूद रहे।

संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR के आदेश पर लगाई रोक

ब्यूरो प्रयागराज संभल हिंसा मामले में चर्चित एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी को अंतरिम राहत जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सीजेएम के 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी है। दरअसल संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जिले में हुई हिंसा में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 22 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया था. इस फैसले के को अनुज चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके साथ ही राज्य सरकार मे भी इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, तब तक एफआईआर के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर सकता है।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सीपीआई (एम) ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित विवादित वीडियो को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीपीआई (एम) ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ वकील निजाम पाशा ने इस मामले को देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष उल्लेख किया। वकील ने अदालत को बताया कि असम के मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर कई विवादित बयान दिए गए हैं। इसके अलावा, हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री को मुस्लिम टोपी पहने कुछ लोगों की ओर बंदूक से निशाना साधते हुए दिखाया गया है। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज

नहीं की गई है। उन्होंने इस पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समस्या यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, आधी चुनावी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाने लगती है। हालांकि, अदालत ने मामले को खारिज नहीं किया और कहा कि इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोमवार को असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा के खिलाफ उस वीडियो के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें उन्हें मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखाया गया था। हालांकि, बाद में उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था।

पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के पास सीएम सरमा के खिलाफ मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जानबूझकर और गलत इरादे वाले कामों के लिए शिकायत दर्ज कराते हुए, हैदराबाद सांसद ने असम के मुख्यमंत्री पर दो धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।

शिखर धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एंबेसडर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके शिखर धवन को आगामी दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त किया गया है। यह आयोजन 13 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, जिसमें राजधानी के हजारों युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिखर धवन से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। आशीष सूद कहा कि खेलों के प्रति दिल्ली सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर शिखर धवन ने स्वयं आगे आकर यह जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने कहा धवन जैसे प्रेरणादायी खिलाड़ी का जुड़ना दिल्ली के युवाओं के लिए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शिखर धवन के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनुभव और मार्गदर्शन से दिल्ली के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार खेलों को करियर के रूप में अपनाने वाले युवाओं को हर संभव मंच और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली उनकी कर्मभूमि रही है और इस मिट्टी के लिए कुछ करना उनके लिए गर्व की बात है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, 100 से ज्यादा सांसदों ने किया साइन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ''बोलने की इजाजत नहीं देने'' तथा कांग्रेस की महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद तथा अन्य ने लोकसभा सचिवालय को यह नोटिस सौंपा।

नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और कई अन्य विपक्षी दलों के 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत यह प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा गया है। बीते दो फरवरी को, राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा विषय उठाने की अनुमति नहीं मिलने, सदन की अवमानना के मामले में आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने तथा अन्य मुद्दों पर सदन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्तापक्ष के लोगों को कुछ भी बोलने की छूट दी गई है।

सांसद पप्पू यादव को पटना कोर्ट से जमानत, 31 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी

ब्यूरो प्रयागराज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना के कोर्ट से जमानत मिल गई। सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 की कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। पटना सिविल कोर्ट में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोर्ट के अंदर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की बारिकी से जांच की जा रही है। अभी कल ही पटना सिविल कोर्ट बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसे लेकर पटना सिविल कोर्ट में गहमागहमी का माहौल है। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। दरअसल, करीब तीन दशक पुराने एक मामले में गिरफ्तारी के बाद से सांसद पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में कैद थे। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई होनी थी। लेकिन अचानक पटना सिविल कोर्ट में बम रखने जाने की सूचना ईमेल से आई, जिसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल हो गया। पटना पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुट गई। कोर्ट परिसार को खाली करवा कर चेकिंग की गई थी। इससे न्यायिक कामकाज भी

बाधित हुए। जिसके चलते पप्पू यादव की याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो पाई।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 6 फरवरी 2026 को पटना के 31 साल पुराने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला साल 1995 का है, जो पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने उनका मकान व्यक्तिगत उपयोग के नाम पर किराए पर लिया था, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल धोखे से सांसद के कार्यालय के रूप में किया जाने लगा। इस मामले में धारा 467 (दस्तावेजों की जालसाजी) समेत अन्य गंभीर धाराएं लगी थीं।

लखनऊ की विशेष पॉक्सो अदालत का फैसला: दुष्कर्म व पॉक्सो आरोपों से आरोपी बरी, आपराधिक धमकी में एक वर्ष की सजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ, लखनऊ की विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2018 में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने आरोपी पवन लोधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धाराओं 3/4 के तहत लगाए गए आरोपों से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला थाना कृष्णानगर, लखनऊ में दर्ज एफआईआर संख्या 395/2018 से संबंधित है, जो 25 जुलाई 2018 को दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने विवाह का आश्वासन देकर लगभग एक वर्ष तक उससे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इंकार करने पर उसे तथा उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 376 और 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 3/4 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसके परिजन और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही पीड़िता की मेडिकल और रेडियोलॉजिकल जांच रिपोर्ट, विद्यालयीय अभिलेख, आयु से संबंधित दस्तावेज तथा धारा 161 और 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र चौधरी और सुमन ने दलील दी कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और आरोपी ने गंभीर अपराध किया है।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने अभियोजन के साक्ष्यों पर आपत्ति उठाते हुए पीड़िता की आयु से जुड़े दस्तावेजों में

विरोधाभास की बात रखी। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर सका कि कथित घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी या शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाए गए थे।

सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए पीड़िता की आयु का संदेह से परे प्रमाण आवश्यक है, जो इस मामले में प्रस्तुत नहीं हो सका। इसी आधार पर आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के आरोपों से बरी किया गया। हालांकि, अदालत ने यह पाया कि आरोपी द्वारा पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी देने का आरोप सुसंगत गवाहियों से सिद्ध होता है, जिस पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि का लाभ धारा 428 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया जाएगा तथा फैसले की प्रमाणित प्रति आरोपी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। जेल प्रशासन को सजा से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में पीड़ित की आयु और घटनाक्रम से जुड़े ठोस प्रमाण निर्णायक होते हैं, जबकि आपराधिक धमकी जैसे अपराधों पर अदालतें सख्त रुख अपनाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट कहे, शहर सुन न पाए: ध्वनि का अन्याय

स्वप्नों पर हमला: तेज़ ध्वनि और शिक्षा का टकराव
शोर के पीछे छुपा अन्याय: नींद, स्वास्थ्य और भविष्य

शहर की रात मानो सोई नहीं, बल्कि दोहरी ज़िंदगी जी रही है। गली-गली में सन्नाटा छाया है, लेकिन वह झूठा है–हर मैरिज गार्डन और कई मोहल्लों/कालोनियों में तेज़ धुनें, डीजे की थाप और लाउडस्पीकर की गूँज जैसे नींद में सो रहे शहर को झकझोर रही हों। वहीं एक छात्र अपने नोट्स और किताबों के बीच चुपचाप बैठा है, हर शब्द को अपने भविष्य की नींव बनाने के लिए तरस रहा है, लेकिन चारों ओर की आवाज़ें उसकी मेहनत को छीन रही हैं। फरवरी की ठंडी सुबहें परीक्षा के समय की घंटी बन चुकी हैं–स्थानीय परीक्षाओं संग एमपी बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षाएं 10 फरवरी से, कक्षा 10 की 13 फरवरी से और सीबीएसई की 17 फरवरी से। लाखों युवा रातों की नींद काटकर सपनों की नींव रख रहे हैं, पर हर ध्वनि, हर उत्सव, हर पार्टी की तेज़ी उनके हक, उनके आराम और उनके स्वास्थ्य पर एक बेवजह बोझ डाल रही है।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या सार्वजनिक ध्वनि उपकरण का उपयोग बिना अनुमति प्रतिबंधित है। आवासीय क्षेत्रों में रात के समय ध्वनि स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 'इन रेः नॉइज पॉल्यूशन' (2005) में स्पष्ट किया कि यह केवल कानूनी नियम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का जीवन का अधिकार है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी परीक्षा काल में विशेष सख्ती का आदेश जारी किया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रात के समय आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि स्तर 45 डेसिबल और व्यावसायिक क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। एमपी सरकार के आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि परीक्षा काल के दौरान रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या डीजे नहीं चलाया जाएगा। इसके बावजूद, हर मैरिज गार्डन और कई मोहल्लों/कालोनियों में लगातार तेज़ ध्वनि सुनाई देती है। इस अत्यधिक शोर के कारण बच्चों की मानसिक एकाग्रता टूटती है, उनकी नींद बाधित होती है, और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

शिकायत करने पर अक्सर जवाब मिलता है– 'लिखित शिकायत लाओ।' क्या केवल शिकायत न होने से उल्लंघन वैध हो जाता है? कई बार पुलिस, प्रशासन और स्थानीय नेता इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। मंच से शिक्षा और अनुशासन की बातें करते हैं, लेकिन डांस फ्लोर पर थिरकते हैं। यह कोई दोहरा मापदंड नहीं, बल्कि स्पष्ट पाखंड है। प्रभावशाली लोगों के लिए छूट, आम जनता के लिए सख्ती–यह समाज में बढ़ते असंतुलन और असंवेदनशीलता का प्रतीक है।

शिकायत न करने का कारण डर और सामाजिक दबाव है। पड़ोसी की शादी हो या कोई बड़ा कार्यक्रम, मन में बार-बार यह ख्याल आता है– 'मैं भी इससे नहीं बच पाऊँगा।' स्थानीय नेताओं या पुलिस की मिलीभगत का डर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार पुलिस सुरक्षा में मौजूद रहती है, लेकिन डेसिबल मीटर नहीं लगाया जाता। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल हैं, लेकिन कार्रवाई दुर्लभ है। परिणामस्वरूप छात्रों की एकाग्रता टूटती है, नींद छिन जाती है, और तनाव बढ़ता है। यह केवल शैक्षणिक नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा आघात है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्पष्ट कहना है कि लगातार ध्वनि प्रदूषण नींद की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इससे न केवल मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ता है, बल्कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। भारत में शिक्षा किसी प्रतियोगिता की तरह है, और एक रात की खराब नींद साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अत्यधिक शोर से बीमार लोग–हृदय रोगी, कैंसर पीड़ित, गर्भवती महिलाएं–गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। वृद्ध माता-पिता, जिनकी सुनने की क्षमता पहले से कम है, उनकी शांति भी छीनी जाती है। यह केवल व्यक्तिगत परेशानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के प्रति अन्याय है।

उत्सव मनाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार दूसरों की पीड़ा के ऊपर कभी हावी नहीं होना चाहिए। क्या सचमुच शादी या धार्मिक आयोजन बिना तेज़ म्यूजिक के संभव नहीं हैं? क्या ये आनंद शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते? पश्चिमी देशों में रात 10 बजे के बाद शोर पर सख्त नियंत्रण होता है, और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होती है। वहीं भारत में 'चलता है' की मानसिकता ने नियमों को खोखला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार दोनों स्पष्ट कर चुके हैं–ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे, और परीक्षा के समय किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।

आज अगर हम मौन रहेंगे, तो कल हमारे बच्चे हमसे प्रश्न करेंगे– 'हमारे सपनों को पूरा करने का अवसर क्यों छीन लिया गया?' रात की चुप्पी कोई विलासिता नहीं, बल्कि सुरक्षा, अधिकार और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। परीक्षा के कठिन दिनों में इसे बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। नियम केवल कागज़ों तक सीमित नहीं होने चाहिए; उन्हें सड़कों, गलियों और मोहल्लों में भी लागू होना चाहिए। आवाज़ उठाएँ–शांतिपूर्ण रातों के लिए, बच्चों के उज्ज्वल और संवारते भविष्य के लिए। क्योंकि शिक्षा तभी फलती-फूलती है जब उसके साथ शांति और सुरक्षा का साथ हो।

कृति आरके जैन

राजनीतिक दलों द्वारा एसआईआर का विरोध वोट बैंक की मजबूरी दर्शाता है

पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) किया जा रहा है। यह कार्य विशेष रूप से विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पूर्व किया जाना चाहिए, ताकि मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे । यह भी सत्य है कि वर्ष 2003 के बाद देश के अधिकांश राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ, जिसके कारण अवैध बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठियों को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के चलते आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज प्राप्त हो गए । इन दस्तावेजों के आधार पर वे वर्षों से केंद्र व राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहे ।

केरल में जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड पाए जाने का मामला सामने आने के बाद ही निर्वाचन आयोग की चिंता गंभीर हुई । इसके बाद कई राज्यों और जिलों में भी ऐसे ही मामले उजागर हुए, जिससे यह आशंका गहराई कि कहीं अवैध घुसपैठिए भारतीय मतदाता बनकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं । मतदाता सूचियों के परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता के रूप में दर्ज हैं । इसी कारण बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से, एसआईआर प्रक्रिया आरंभ की गई । इसके परिणामस्वरूप बिहार में लगभग 65 लाख मतदाता आवश्यक नागरिकता दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से बाहर हुए । इसके बाद अन्य 12 राज्यों में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहाँ लाखों नाम हटाए गए ।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सूची से हटाए गए सभी व्यक्ति अवैध घुसपैठिए नहीं हैं । निर्वाचन आयोग ने सभी को भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हे । इसके बाद भी जो व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, वे जांच के दायरे में आएंगे और जो घुसपैठिए पाए जाएंगे, उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए जिस पर किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करना और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना कई सवाल खड़े करता है । पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है और यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वहां प्रवेश करते हैं । स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के चलते वे आसानी से भारतीय दस्तावेज बनवा लेते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वा कर वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं ।

यदि एसआईआर के माध्यम से ऐसे नाम सूची से हटते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों ? यदि मुख्यमंत्री अपने विकास कार्यों और ईमानदारी के बल पर सत्ता में हैं, तो उन्हें इस प्रक्रिया से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । अवैध घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति दिखाकर एसआईआर का विरोध करना बंगाल की जनता के साथ छल है और राष्ट्रहित के साथ भी समझौता है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का सभी राजनीतिक दलों को स्वागत करना चाहिए और बूथ स्तर तक सहयोग करना चाहिए । यह समझना होगा कि एसआईआर किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि राष्ट्र और लोकतंत्र के पक्ष में है । यदि प्रक्रिया में कोई खामी है, तो उसका समाधान संवाद और सुधार से निकाला जा सकता है । लेकिन केवल इसलिए विरोध करना कि इससे वोट बैंक दरक सकता है यह न केवल लोकतंत्र से विश्वासघात है, बल्कि राष्ट्रहित के विरुद्ध भी है ।

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कोई नई या असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं है । यह भारत निर्वाचन आयोग का वैधानिक दायित्व है, जिसे हर चुनाव से पहले पूरा किया जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता सूची संदेह से परे रहे । इसके बावजूद जब राजनीतिक दल, विशेषकर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, इस प्रक्रिया का मुखर विरोध करती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर डर किस बात का है ? आज का भारतीय मतदाता जागरूक है वह जाति, धनबल या बाहुबल से नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और सुशासन के आधार पर निर्णय करता है और वह यह भी जानता है कि मतदाता सूची की शुद्धता ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है । जो दल इस बुनियादी सुधार का विरोध करेंगे, जनता उन्हें यह संदेश देगी कि लोकतंत्र की सफाई से भागने वालों के लिए सत्ता में कोई जगह नहीं हे । इक्कीसवीं सदी का नया भारत और उसका मतदाता उन्हीं दलों और नेताओं का समर्थन करेगा, जो भारत को एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

अरविंद रावल

खेजड़ी एक पेड़ नहीं, मरुजीवन की रीढ़

पर्यावरण, आस्था और राजनीति के बीच खड़ा एक ऐतिहासिक सवाल

राजस्थान के रेगिस्तानी भूगोल में खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं है, वह जीवन-पद्धति है, संस्कृति है और संघर्ष का प्रतीक भी। जब 'खेजड़ी बचाओ आंदोलन' के तहत महापड़ाव से यह घोषणा होती है कि पांच लाख पर्यावरण प्रेमी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, तो सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर खेजड़ी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन क्यों, क्या यह केवल भावनात्मक उभार है, या इसके पीछे कोई गहरी पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक वजह छिपी है। कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इसे अरावली के बाद एक और पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई इन सरलीकृत धारणाओं से कहीं आगे है।

खेजड़ी का महत्व समझने के लिए सबसे पहले राजस्थान के मरुस्थलीय पर्यावरण को समझना जरूरी है। थार जैसे शुष्क क्षेत्र में जहां पानी, छाया और उपजाऊ मिट्टी दुर्लभ हैं, वहां खेजड़ी प्रकृति का वरदान है। इसकी जड़ें गहराई तक जाकर भूजल को थामे रखती हैं, मिट्टी का क्षरण रोकती हैं और आसपास के क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं। यही कारण है कि खेजड़ी के आसपास खेती अपेक्षाकृत बेहतर होती है। इसकी पत्तियां पशुओं के लिए पोषक चारा हैं, इसकी फलियां 'सांगरी' के रूप में स्थानीय आहार का अहम हिस्सा हैं और इसकी छाया इंसान व पशु दोनों को तपते रेगिस्तान में राहत देती है।

पर खेजड़ी का महत्व केवल पर्यावरणीय नहीं है, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी उतना ही गहरा है। बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी आस्था का केंद्र है। 1730 में खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई और 363 अन्य लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। यह घटना केवल इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि आज भी जीवित चेतना है। जब आज के आंदोलन में संत, महंत और कथावाचक खेजड़ी की महिमा गाते हैं, तो वह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस परंपरा की पुनर्पुष्टि है जिसमें प्रकृति की रक्षा धर्म का हिस्सा मानी जाती है।

तो फिर विवाद किस बात का है? विवाद का मूल कारण है विकास की वह परिभाषा, जिसमें पेड़ अक्सर बाधा माने जाते हैं। सड़क, बिजली, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं या शहरी विस्तार इन सबके रास्ते में खेजड़ी खड़ी दिखती है। कई बार 'अनिवार्य कटाई' के नाम पर, तो कई बार प्रशासनिक ढिलाई या निजी स्वार्थ के चलते, बड़ी संख्या में खेजड़ी काटी जाती है। कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन ढीला है, और खेजड़ी जैसे वृक्ष के लिए कोई विशेष, सख्त और प्रभावी संरक्षण तंत्र अब तक नहीं बन पाया है।

यहीं से आंदोलन की जमीन तैयार होती है। जब लोग देखते हैं कि प्रशासनिक आश्वासन के बावजूद कटाई जारी है, तब विरोध सड़कों पर उतरता है। महापड़ाव, क्रमिक अनशन और कलश यात्रा जैसे प्रतीकात्मक कदम दरअसल ध्यान आकर्षित करने के साधन हैं। पांच लाख लोगों के अनशन की घोषणा को अगर केवल संख्या के खेल के रूप में देखा जाए, तो यह आंदोलन के मर्म को समझने में चूक होगी। यह संख्या उस सामूहिक चिंता का प्रतीक है, जो लोगों के मन में अपने पर्यावरण, अपनी परंपरा और अपने भविष्य को लेकर है।

क्या इसमें राजनीति है? इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। किसी भी बड़े जनांदोलन में राजनीति प्रवेश करती है, कभी समर्थन के रूप में, कभी विरोध के रूप में। लेकिन हर आंदोलन को केवल राजनीतिक स्टंट कह देना बौद्धिक आलस्य होगा। अगर खेजड़ी का मुद्दा सिर्फ राजनीति होता, तो इसमें संतों, साधुओं, ग्रामीणों, एनआरआई और यहां तक कि विदेशी पर्यटकों की भागीदारी इतनी सहजता से न होती। इंग्लैंड से आए टूरिस्ट का खेजड़ी के महत्व पर बोलना इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा स्थानीय होते हुए भी वैश्विक पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़ता है।

अरावली और खेजड़ी की तुलना भी इसी संदर्भ में की जानी चाहिए। अरावली पहाड़ियां और खेजड़ी वृक्ष दोनों ही राजस्थान के पर्यावरणीय संतुलन के स्तंभ हैं। अरावली को लेकर संघर्ष खनन और शहरीकरण के खिलाफ था, जबकि खेजड़ी का संघर्ष स्थानीय स्तर पर पेड़, खेती और आजीविका से जुड़ा है। दोनों अलग मसले हैं, लेकिन जड़ एक ही है,प्रकृति और विकास के बीच असंतुलन। फर्क इतना है कि खेजड़ी आम आदमी के दैनिक जीवन से कहीं अधिक सीधे जुड़ी है।

आंदोलन की एक अहम मांग है खेजड़ी कटाई पर पूर्ण रोक और इसके लिए विशेष कानून। साथ ही, कानून बनाने वाली समिति में पर्यावरण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग यह दर्शाती है कि लोग केवल विरोध नहीं चाहते, वे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी चाहते हैं। यह लोकतांत्रिक चेतना का सकारात्मक संकेत है, जहां जनता नीति निर्माण में अपनी आवाज चाहती है।

अंततः सवाल यह नहीं है कि आंदोलन कितना बड़ा है या उसमें कितनी भीड़ जुटेगी। असली सवाल यह है कि हम खेजड़ी को किस नजर से देखते हैं एक साधारण पेड़, जिसे जरूरत पड़ने पर काटा जा सकता है, या एक जीवनदायी संरचना, जिसके बिना मरुस्थल और भी कठोर हो जाएगा। अगर खेजड़ी बचती है, तो केवल एक वृक्ष नहीं बचेगा, बल्कि खेती, पशुपालन, जल-संतुलन और एक पूरी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी।

इसलिए खेजड़ी पर उठता विवाद किसी एक समुदाय या क्षेत्र का मसला नहीं है। यह उस विकास मॉडल पर सवाल है, जिसमें पर्यावरण को हाशिये पर रखा जाता है। महापड़ाव और अनशन इस सवाल को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने के माध्यम हैं। अब यह सरकार, समाज और हम सब पर निर्भर करता है कि हम इस आवाज को केवल शोर मानकर अनसुना करते हैं, या इसे भविष्य की चेतावनी समझकर समय रहते खेजड़ी और प्रकृति के पक्ष में खड़े होते हैं।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

मूल शिक्षा में आर्थिक वैज्ञानिक सोच विचारणीय

(समृद्ध नैतिकता आधारित शिक्षा नीति की जरूरत)

हर राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण किरदार होता है जिस राष्ट्र में शिक्षा,संस्कृति जितनी गहरी और समृद्ध हो वह राष्ट्र उतना ही विकसित,पुष्पित, पल्लवित होता है। इसके साथ आर्थिक तथा वैज्ञानिक सोच भी अत्यंत विचारणीय है।हर देश में राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रहित के प्रति चिंतन करने वालों का समूह होना चाहिए,जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रहित के विचारों और विकास के मूल मंत्र को नई ऊर्जा ताजा हवा और आगे बढ़ने की सच्चाई को इंगित कर सकेंद्य बिना संस्कृति ,संस्कार और वैचारिक क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रगति करने की सोच भी नहीं सकताद्य वैचारिक और सैद्धांतिक अंतरधारा, सिद्धांतों को कुचला या नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत वैचारिक अभिव्यक्ति भारत के संदर्भ में गणतंत्र की मूल आत्मा है। विचार और सिद्धांत व्यक्ति की अंतःप्रज्ञा होती है। यह सिद्धांत तथा अंतः विचारधारा जनमानस तक पहुंचने से बाधित किया जाए तो अंतरात्मा को प्रभावित करती है। इसके गहरे प्रभाव से व्यक्ति वह सब कर सकता है, जो बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल से अब तक मनीषियों के वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है।यदि यही सिद्धांत और अंतः प्रज्ञा जनमानस आत्मसात कर लेता है, तो इसका प्रभाव एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और यहीं से युग परिवर्तन की लहर उत्पादित होती है। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान व्यक्ति रहते थे,उनके विचारों में मौलिकता,नयापन जनजागृति की अद्भुत क्षमता थी। उनकी विद्वता के कारण आम जनमानस होने राजा से ज्यादा महत्व और बुद्धिमान मानते थे। राजकीय तानाशाही के चलते उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला पीने के बाद भी विद्वान, चिंतक, सुकरात अमर हो गए, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, एवं लोग उसे अपनाकर अपना जीवन सुधारने में इसका उपयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद दास प्रथा के बारे में कहा था कि दास भी मनुष्य हैं, उन्हें भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना स्वामी को है। अब्राहम लिंकन के आंदोलनकारी विचार से तत्कालीन समय में अमेरिका के लोग घबरा गए थे,और उनकी हत्या कर दी गई थी। पर अब्राहम लिंकन के विचारों ने दास प्रथा के उन्मूलन की अंतर आत्मा को जागृत कर दिया था, और जनमानस ने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दास प्रथा से मुक्ति पाई थी।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार एवं सिद्धांत ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट होने या महान होने का निर्णायक है। और बिना विचारों सिद्धांतों के व्यक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं । विवेकानंद जी के विचार सर्व कालीन प्रासंगिक है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवित रहते हुए थे। आज हमारे बीच विवेकानंद जी स शरीर मौजूद नहीं है, पर उनके विचारों की महत्ता कायम है।भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से और भौतिक विचार तथा सिद्धांत उतनी ही तीव्रता रखते हैं, वेग रखते हैं, जो एक समाज में परिवर्तन ला सकती है ।विचारों की यह अमरता तथा तीव्रता किसी भी तानाशाह के लिए इतनी खतरनाक है, जितनी की सुप्त शेर की गुफा में रहना। जनता के मध्य शुद्ध विचारधारा के जागृत होने पर क्रांति लाई जा सकती है। फिर चाहे वह फ्रांस के वर्साय के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता हेतु वृहद आंदोलन हो। व्यक्ति या व्यक्तियों के दबाव को दबाने के बाद विचारों की पीड़िता ने जनसामान्य को एक गरजते हुए सिंह में तब्दील कर दिया था। यह शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति को जरूर आप दबा सकते हैं,पर विचारधारा सिद्धांत अजर अमर होते हैं,और वही युग निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार तब तक उस व्यक्ति के पास है, जब तक वह अकेला है किंतु जैसे ही विचारधारा एवं सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता है, तो वह व्यक्ति अकेला ना रह कर उस जैसे हजारों लाखों लोग उसके साथ हो जाते हैं। तब वह अकेला नहीं रह जाता। वह अपने विचारों के माध्यम से जन सामान्य को प्रभावित कर लोगों को उस लड़ाई में शामिल कर लेता है, जिस लड़ाई के वह कभी अकेले नहीं लड़ सकता था। विचारों सिद्धांतों की तीव्रता आवेश तथा सघनता किसी भी क्रांतिकारी लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ा साधक हो सकता है। विचार व सिद्धांत एक से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते रहते हैं। जिसमें विचारों को सघनता प्राप्त होती है। ताकि सत्ता के दमन के समय वैचारिक अमरता स्थाई बनी रहे। चीन उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों में विचारों के इस स्वतंत्र का प्रवाह को बाधित नियंत्रित कर दिया गया। अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों को प्रतिबंधित कर दमन चक्र चलाया गया। वहां विचार और सिद्धांत विद्वान व्यक्ति तक ही सीमित रहे उसका फैलाव या विस्तार नहीं हो पाया। जो मानव समाज तथा मानव अधिकारों की संवेदना तथा धाराओं का उल्लंघन भी है। किसी स्वस्थ स्वतंत्र राष्ट्र के लिए व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विचारों की स्वतंत्रता नवीनता तथा उत्कृष्टता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विचारधारा और सिद्धांतों को रोक पाना किसी भी सत्ता या निरंकुश राजा के नियंत्रण में नहीं होता। विचारों और सिद्धांत अनादि काल से गतिशील है तथा अनंत तक जगत तक गतिशील रहेंगे,और उसका प्रतिपादक एवं अनुशीलन कर्ता विचारों के साथ अमर हो जाते हैं।

संजीव ठाकुर

धार्मिक स्थलों की पूजा सामग्री के सदुपयोग पर कार्य हो

भारतीय मंदिरों में पूजा-पाठ के दौरान अर्पित किए जाने वाले पुष्प, नारियल आदि सामान न केवल हमारी गहरी आस्था का प्रतीक हैं। अपितु हमारे लिए वह सम्माननीय हैं। देखने में आता रहा है कि पूजन के बाद मंदिर प्रबंधन द्वारा इन्हें इधर - उधार फिंकवा दिया जाता है। कई जगह ये सड़कों के किनारे पड़े सड़ते रहते हैं। जहां नदियां हैं , वहां नदियों में डाल दिए जाते हैं। नदियों में डाल दिए जाने से वे प्रदूषित होती रहती हैं। भगवान को श्रद्धा से चढ़ाई सामग्री का ये दुर्गति देख अच्छा नही लगता। ये सामग्री थोड़ी- बहुत हो तो प्रबंधन कुछ सोचे भी। रोज कई- कई सौ क्विंटल सामग्री हो जाती है। इसके निस्तारण की बडी समस्या रहती है।ऐसे में प्रबंधन के सामने भी चुनौती होती है कि वह क्या करे?

जरूरत है कि इनके सदुपयोग की सोचे। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर शांथि सुंदरम और नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आदि नाथ के नेतृत्व में किए गए शोध ने इस दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। उन्होंने मंदिरों के अवशेष पुष्पों को 'कचरे' से 'कंचन' में बदलते हुए ऐसी हर्बल औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ऊर्जा उत्पाद विकसित किए हैं। यह भविष्य की अर्थव्यवस्था और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। भारत में प्रतिवर्ष मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों पर औसतन 80 करोड़ टन (800 मिलियन टन) पुष्प अर्पित किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में प्रतिदिन लगभग 300 मीट्रिक टन फूलों का कचरा निकलता है। अकेले वाराणसी और प्रयागराज जैसे धार्मिक केंद्रों से प्रतिदिन करीब 70 से 100 टन तक पूजन सामग्री और पुष्प अवशेष उत्पन्न होते हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि श्रद्धा के ये पुष्प यदि सही तरीके से प्रबंधित न किए जाएं, तो ये पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं।

दुर्भाग्यवश, भारत में चढ़ने वाली कुल पूजन सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो लगभग 90 प्रतिशत से अधिक है, उचित उपयोग या रीसाइक्लिंग के अभाव में सीधे तौर पर बर्बाद हो जाता है। लोग इन पुष्पों को पवित्र मानते हुए कचरे के डिब्बे में नहीं डालते, बल्कि नदियों (विशेषकर गंगा और यमुना), तालाबों या खुले स्थानों पर विसर्जित कर देते हैं। आंकड़ों के अनुसार, भारत की नदियों में होने वाले कुल प्रदूषण में लगभग 16 प्रतिशत हिस्सेदारी इसी 'धार्मिक कचरे' की है। जब ये फूल पानी में सड़ते हैं, तो इनसे निकलने वाले कीटनाशक और रासायनिक तत्व जलीय जीव-जंतुओं के लिए घातक बन जाते हैं और पानी के ऑक्सीजन स्तर (BOD) को कम कर देते हैं।

वर्तमान में केवल पांच से आठ प्रतिशत पुष्प सामग्री का ही वैज्ञानिक या व्यावसायिक रूप से पुनर्चक्रण रिसाइकिल हो पा रहा है। कुछ प्रमुख संस्थाएं और शोधकर्ता अब इन पुष्पों से अगरबत्ती, धूपबत्ती, जैविक खाद (वर्मीकम्पोस्ट) और प्राकृतिक रंग बनाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि, प्रोफेसर शांथि सुंदरम और डॉ. आदि नाथ का शोध इस दायरे को और विस्तृत करता है। उन्होंने इन पुष्पों से उच्च मूल्य वाले उत्पाद जैसे हर्बल सीरम, फेस पैक, एंटी-एजिंग क्रीम और बायो-फ्यूल (जैव ऊर्जा) विकसित करने की दिशा में सफलता प्राप्त की है, जो इस सामग्री के उपयोग की दर को भविष्य में बढ़ा सकते हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और नेहरू ग्राम भारती के शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध किया है कि मंदिरों में चढ़ने वाले गुलाब, गेंदा, गुड़हल और कमल जैसे फूलों में प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। शोध के अनुसार, इन फूलों से निकाले गए अर्क (सत) का उपयोग ऐसी हर्बल औषधियां बनाने में किया जा रहा है । यह त्वचा रोगों, घावों को भरने और तनाव कम करने में सहायक हैं। गेंदे के फूल में मौजूद ल्यूटिन और कैरोटीनॉयड जैसे तत्वों का उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली दवाओं और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स के लिए किया जा सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों की दुनिया में यह शोध एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। मंदिरों से एकत्र किए गए फूलों को वैज्ञानिक विधियों से उपचारित कर उनसे टॉक्सिन्स (विषाक्त पदार्थ) हटाए जाते हैं और फिर उनसे प्राकृतिक इत्र, बॉडी लोशन और फेस मास्क तैयार किए जाते हैं। चूंकि ये उत्पाद पूरी तरह रासायनिक मुक्त और प्राकृतिक होते हैं, इसलिए इनकी मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। यह न केवल सुंदरता निखारने का काम कर रहे हैं, बल्कि सिंथेटिक उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों को भी कम कर रहे हैं।

जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन फूलों का उपयोग क्रांतिकारी है। डॉ. आदि नाथ और उनकी टीम ने शोध में पाया कि फूलों के अवशेषों से 'बायो-एथेनॉल' और 'बायो-गैस' का उत्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। फूलों में मौजूद सेल्यूलोज को किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह तकनीक न केवल कचरा प्रबंधन का समाधान देती है, बल्कि भविष्य के लिए एक स्वच्छ ईंधन का विकल्प भी प्रदान करती है।

इस पूरी प्रक्रिया का एक अत्यंत मानवीय और सामाजिक पक्ष भी है। मंदिर के पुष्पों पर आधारित इस उद्योग ने ग्रामीण महिलाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। जब शोध संस्थानों की तकनीक को धरातल पर उतारा जाता है, तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को इन फूलों को इकट्ठा करने, सुखाने और उत्पाद बनाने के कार्य में लगाया जाता है। इससे न केवल पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, बल्कि 'वेस्ट टू वेल्थ' (अपशिष्ट से धन) के मंत्र के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। प्रोफेसर शांथि सुंदरम और डॉ. आदि नाथ जैसे वैज्ञानिकों का यह प्रयास हमें यह बताता है कि श्रद्धा के फूल केवल विसर्जन के लिए

संक्षिप्त खबरें

एसटीएफ ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ एक शातिर गिरफ़्तार

सीतापुर जनपद सीतापुर में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ अयोध्या और थाना तालगांव की संयुक्त पुलिस टीम ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित और अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र तथा हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई मंगलवार को की गई। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने थाना तालगांव क्षेत्र के ग्राम कंजाशरीफपुर में दबिश दी यहां अभियुक्त मायाराम पुत्र स्वर्गीय श्रीपाल लोहार को उसके घर में अवैध हथियार बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से 12 बोर के एक अवैध तमंचे और दो अवैध अद्धी, 315 बोर के छह अवैध तमंचे, एक अर्द्धनिर्मित तमंचा, दोनों बोर के खोखा कारतूस समेत हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त मायाराम लंबे समय से अवैध शस्त्र निर्माण के धंधे में लिप्त था और उसके खिलाफ थाना तालगांव व लहरपुर में आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बरामदगी के आधार पर थाना तालगांव में मुकदमा संख्या 39/26 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जा रहा है!!

69 ग्रामीणों पर हाइवे जाम करने व मारपीट तथा पथराव का केस

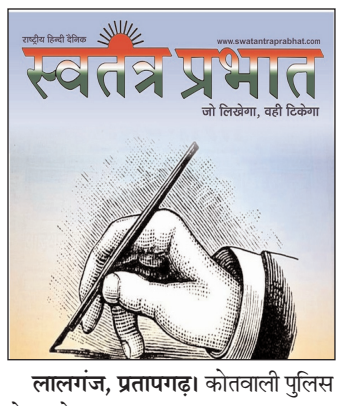

लालगंज, प्रतापगढ़। कोतवाली पुलिस ने हाइवे पर मासूम का शव रखकर जाम लगाने वाले उन्हत्तर ग्रामीणों पर केस दर्ज किया है। दरोगा ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि जाम लगाने के साथ ही आरोपियों ने समझाने पर पुलिस से मारपीट व वाहनों पर पथराव भी किये। लालगंज कोतवाली के चांदीपुर, भदारी कला गांव निवासी धर्मेश सरोज का पुत्र देव सरोज 09 बीती तेरह जनवरी की शाम बाइक की टक्कर से घायल हो गया था। घटना को लेकर घायल मासूम के चाचा सोनू सरोज की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी गांव निवासी पूरे कलंदर निवासी बलवन्त वर्मा पुत्र संतलाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इधर प्रयागराज में इलाज के दौरान आठ फरवरी की रात देव सरोज की मौत हो गयी।आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह मासूम का शव लेकर नगर स्थित संगम चौराहे पर पहुंचे और हाइवे पर जाम लगा दिया। पुलिस का आरोप है कि समझाने के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस से गालीगलौज व मारपीट की तथा धमकी दी। इसके साथ ही वाहनों पर पथराव भी किया। दरोगा राजेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने गांव के संदीप पाल, बृजेश, हरिकेश विश्वकर्मा, शिवदुलारे यादव, आशा देवी, शोभा देवी, गुडडी समेत नौ नामजद व साठ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम, बृज किशोर निषाद पुत्र राजकिशोर निषाद है और जन्मतिथि, 01/08/1994 है। वर्ष 2010 में उत्तीर्ण मेरा हाईस्कूल का सर्टिफिकेट जिसका क्रमांक, 69003239 और अनुक्रमांक 2302697 है,कही खो गया।

सूचना कर्ता
बृज किशोर निषाद पुत्र राम किशोर निषाद
निवासी, नरचहवा सैफ बरगदहा, थाना पचपेड़वा, जिला बलरामपुर, मोबाइल:6392010842

चार वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या इलाक़े में दहशत, दोपहर से लापता थी मासूम बच्ची

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के बिसवा कोतवाली इलाके में सोमवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गांव के बाहर स्थित एक झोपड़ी में दोपहर 3:00 बजे से लापता एक 4 वर्षीय बच्ची का खून से लथपथ शव बरामद मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार 4 वर्षीय मासूम बच्ची संध्या पुत्री रामशरण दोपहर 3 बजे से लापता हो गई। पिता शाम 5 बजे से ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश की तो देर रात उसका शव गांव के बाहर बने एक झोपड़ी से खून से लथपथ बरामद हुआ तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी पर पहुंची स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वही देर रात से एसपी अंकुर अग्रवाल, एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ बिसवा अमन सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और परिजनों के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया मासूम बच्ची के गर्दन पर रस्सी से गला कसे जाने के निशान पाए गए है। वही शव पास मिले खून से मासूम की मौत का राज और अधिक गहरा हो गया। परिजनों ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले में एक युवक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है!!

भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए:- हाजी इक़बाल अहमद मंसूरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

तंबौर सीतापुर भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए हाजी इक़बाल अहमद मंसूरी ने अपने संबोधन में कहा धारा 341 के प्रतिबंध को हटाया जाए जिससे भारतीय पसमांदा मुसलमानों का शोषण होता है तथा पसमांदा मुसलमानों को मुख्य धारा से अलग रखा जाता है। इतिहास गवाह कि आज तक किसी ने उनके लिए आवाज़ तक नहीं उठाई भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज एक गैर राजनीतिक संगठन है यह संगठन पिछड़े, शोषित, दबे, कुचले, मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है यह कहना है भारतीय मुस्लिम पसमांदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हाजी इक़बाल अहमद मंसूरी का जिन्होंने आयोजित एक आयोजन में ये बात कही और साथ ही ये भी कहा कि अब तक देश वा प्रदेश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी पार्टियों ने भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज को सिर्फ़ और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है।

प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज का कहने को तो नाम जरूर लिया लेकिन काम तो कोई नही हुआ नतीजा शून्य ही रहा लेकिन इतना जरूर कहा भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी जरूर मिलना चाहिए जिस तरह से अन्य समाज को हिस्सेदारी मिलती है और पिछड़े मुसलमानों का आरक्षण अलग कर दिया जाए वा धारा 341 पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। राजनीति में जब कोई पद दिया जाता है तो उसमें बड़े मुसलमानों को दिया जाता है जो दबे कुचले शोषित मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको सिर्फ़ वोट बैंक के लिये इस्तेमाल किया जाता है भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज को भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए ये मांगे भारतीय पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान मंसूरी के हुकुम पर प्रदेश अध्यक्ष इक़बाल मंसूरी ने कही इस मौके पर रशीद इक़बाल मंसूरी , एजाज खान, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, डॉक्टर इश्तियाक मंसूरी, मोहम्मद मुहीब नदवी, खालिद मंसूरी, हाशिम गौरी, आदि लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे।

बलिया में युवक को मारी गई गोली, हालत नाजुकः वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर, बदमाशों की तलाश में 3 पुलिस टीमें गठित

बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र में सोमवार रात आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। हल्दी थाने की पीआरबी को गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल युवक की पहचान ग्राम भरसौता निवासी आयुष सिंह के रूप में हुई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार आयुष एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर खाना खाने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान हल्दी चट्टी के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कृपा शंकर ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

कृषि महाविद्यालय ने मनाया अपना 32वां स्थापना दिवस

● **महाविद्यालय ने प्रारंभ किये सर्टिफिकेट कोर्स - डॉ योगेंद्र**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के 32वें स्थापना दिवस का आयोजन महाविद्यालय कैंपस में मनाया गया श्रद्धेय बाबू भगवती सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण महाविद्यालय के प्रबंधक टी पी सिंह एवं विशिष्ट अतिथि प्रो एस पी सिंह ने किया। सरस्वती वंदना के साथ 32वें स्थापना दिवस की सुरवात हुई महाविद्यालय की छात्रओ द्वारा भजन की सुन्दर प्रस्तुति कर हुई महाविद्यालय प्रबंध समिति के महामंत्री डॉ बैजनाथ रावत ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रो एसपी सिंह ने कहा कि बाबू भगवती सिंह जी भाव से काम करते थे उनमें काम करने की एक अलग लगन थी आज विद्यालय 32 वर्ष पूरा कर चुका है यह उनकी मेहनत का नतीजा है। समाजसेवी एवं पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने महाविद्यालय को हर संभव मदद करने की बात कहते हुए कहा कि बाबूजी शिक्षा के पुजारी थे उनकी तपस्या का यह विद्यालय है। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ टीपी सिंह ने बताया कि बाबू भगवती सिंह महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे उनके इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। श्रद्धेय बाबू भगवती सिंह मेमोरियल लेक्चर भी कराया गया जिसमें नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्ति आचार्य प्रोफेसर बी वी एस सिसोदिया ने बताया कि खेती की जोत कम हो रही है किसानों को आधुनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेंद्र कुमार सिंह ने महाविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मशरूम कल्चर, फूडप्रोसेसिंग, मधुमक्खी पालन एवं वर्मी कंपोस्टिंग के सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए गए यह आय का अच्छा साधन होंगे। इस अवसर पर शिक्षा समिति के सम्मानित सदस्य बलवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं इस विद्यालय से की जड़ से जुड़ा हूं बहुत ही मेहनत से यह विद्यालय बना है इसका लाभ किसानों को निरंतर मिलता रहता है। मंच का संचालन करते हुए डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बाबू भगवती सिंह सदैव शिक्षकों का सम्मान करते थे और कहते थे कि शिक्षक सबसे मजबूत कड़ी है मैं विद्यालय की स्थापना से छात्र हूं 10 फरवरी 1996 को बीएससी (कृषि) ऑनर्स की पढ़ाई शुरू हुई थी तब से लेकर के अब तक बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आज विद्यालय पूरे भारत में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रवादी कवि योगेश चौहान, बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक बाजपेई, महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ फिदा हुसैन अंसारी ने भी मंत्री जी के विचारों पर चर्चा किया। इस अवसर पर डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ सुधीर कुमार रघुवंशी, प्रबंध समिति के सदस्य जितेंद्र निगम व अशोक सिंह, डॉ उपमा त्रिपाठी, प्रतिमा सिंह, डॉ सुधाकर सिंह, धनेन्द्र कुमार सिंह,डॉ दीपक कुमार पांडे, डॉ के डी सिंह, समन्वयक अधिकारी अजय भदौरिया प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया, उमेश कुमार सहित सभी शिक्षक कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं।

खबर छपी, आवेदन दिया, फिर भी कार्रवाई शून्य- जल जीवन मिशन में मलिहाबाद मॉडल फेल

● **.....जल जीवन मिशन बना 'जल बर्बादी मिशन'।**

मलिहाबाद। मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत दतली और ग्राम अटौरा में जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। जगह-जगह पाइपलाइन से हो रहे भारी रिसाव के कारण हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है, वहीं अटौरा गांव में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने इस गंभीर लापरवाही को लेकर 10 दिन पहले उपजिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी थी, बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ है कि अधिकारियों को न जनता की परेशानी से मतलब है और न ही सरकारी योजनाओं की दुर्दशा से। वहीं प्रसिद्ध अख़बार स्वतंत्र प्रभात ने भी इस भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर किया, लेकिन मलिहाबाद के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अब भी आंख और कान पर पट्टी बांधे हुए हैं। जल जीवन मिशन के इंजीनियर वरुण पर अधिकारियों का खुला संरक्षण होने के आरोप हैं, जिस कारण अब तक न पाइपलाइन की मरम्मत कराई गई और न ही सड़क सुधार का कोई काम शुरू हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो जल जीवन मिशन का नाम बदलकर 'जल बर्बादी मिशन' रखना पड़ेगा। पानी की बर्बादी, सड़कें तबाह और अधिकारी मस्त– यही मलिहाबाद प्रशासन की असली तस्वीर बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन?

शहीद SI वरुण राकेश के परिवार के लिए बलिया पुलिस का संवेदनशील कदम, एक दिन की सैलरी से 10.32 लाख की आर्थिक सहायता

बलिया। सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए उपनिरीक्षक वरुण राकेश के परिजनों को बलिया पुलिस परिवार की ओर से आर्थिक संबल दिया गया। जनपद के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने मानवीय पहल करते हुए स्वेच्छा से अपने एक-एक दिन का वेतन दान किया, जिससे कुल 10 लाख 32 हजार 350 रुपये की राशि एकत्र हुई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की उपस्थिति में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ल और अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कृपा शंकर ने दिवंगत उपनिरीक्षक के परिजनों को सहायता राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बलिया पुलिस परिवार हर कठिन समय में अपने साथी और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।

रेलवे क्रॉसिंग पर चलती कार में लगी आग, बड़ा हादसा टला

सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगीं रहीं लम्बी कतार

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के रायबरेली रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 71-बी पर मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रेलवे क्रॉसिंग पार करते ही एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर एक्सटिंग्विशर और समर्सिबल पंप की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना से कुछ देर के लिए सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जली हुई कार को सड़क से हटवाया। इसके बाद आवागमन धीरे-धीरे सुचारू हो सका। कार चालक उन्नाव निवासी दीपक सिंह ने बताया कि वह अपनी कार से मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग खुलने के बाद जैसे ही आगे बढ़े, कार में अचानक आग लग गई। समय रहते बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया।

अधजले शव की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी, पुलिस कराएगी डीएनए जांच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में रविवार को मिले युवक के अधजले शव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शव लगभग 70 फीसदी तक जला होने के कारण उसकी शिनाख्त और अधिकारिक पुष्टि के लिए पुलिस डीएनए जांच कराएगी। सोमवार शाम को पुलिस निगरानी में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है, जबकि विसरा सुरक्षित रख लिया गया है अधजले शव की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। घटना अटरिया थाना इलाके के अलबदा गांव के बाहर की है। यहां गांव निवासी विमलेश उर्फ मनू (32 वर्ष) का अधजला शव उसके टीनशेड वाले घर से करीब 100 मीटर दूर पुआल और लिपलिट्स की पत्तियों के बीच पड़ा मिला था। विमलेश गांव के बाहर अकेले रह रहा था और उसके साथ कोई अन्य परिजन नहीं रहते थे।

मृतक का बड़ा भाई दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। रविवार सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने खेत की ओर जाते समय शव देखा। सूचना पर अटरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू की। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों ने शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई थी, हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे दुर्घटना मान रही है इस संबंध में सीओ कपूर कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि अत्यधिक ठंड के चलते मृतक ने अलाव जलाया था। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है। डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की!

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डीएम को मिली खामियां अधीक्षक सहित कई स्वास्थ्यकर्मियों का रोका वेतन, कार्रवाई के दिए निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में जिलाधिकारी राजागणपति आर. ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरगांव का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं सामने आने पर जिलाधिकारी ने कई अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले अपने इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया, जहां कलर कोडिंग के अनुसार बेडशीट न मिलने और गंदगी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस संबंध में आदेशों का उल्लंघन करने पर फार्मासिस्ट आदित्य प्रकाश पाण्डेय के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं एमओआईसी डॉ. संजय गौड़ निरीक्षण के समय अनुपस्थित मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।

औषधि केंद्र का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने दवाओं की एक्सपायरी रजिस्टर का अवलोकन किया दवाओं के रख- रखाव में गंभीर लापरवाही मिलने पर फार्मासिस्ट के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए दवाओं के भंडारण कक्ष में अव्यवस्था पाए जाने पर चीफ फार्मासिस्ट को भी प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए गए। बीपीएम राहुल बाजपेयी की कार्यों में लापरवाही पर 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए जिलाधिकारी ने एमओआईसी द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न किए जाने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के साथ ही अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरित न करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए। लेबर रूम निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रजिस्टरों की जांच की और एचआरपी ट्रैकिंग रजिस्टर में एक महिला का टीकाकरण न पाए जाने पर स्टाफ नर्स मंदाकिनी मिश्रा के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की वहीं प्रसव लक्ष्य के सापेक्ष कम संस्थागत प्रसव होने पर बीसीपीएम संतोष कनौजिया का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे!!

आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 35 लोग घायल

● **ग्रामीणों में आवारा कुत्तों को लेकर दहशत का माहौल, बच्चे डरें हुए**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में मंगलवार को आवारा कुत्तों ने आतंक मचा दिया। एक ही दिन में कुत्तों ने 35 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे गांवों में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। इलाज कराने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुत्ते राह चलते लोगों के साथ-साथ बच्चों पर भी अचानक हमला कर रहे हैं, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं।

अस्पताल पहुंचे घायलों में खानपुर गांव की दीपा (23), लालगंज के विजय सिंह (45) व शांति (35), मीठापुर के बसंत लाल (48), ठाकुराइन खेड़ा के नितिन (7), पूरे गुलाब का पुरवा की प्रेमा (45), बेहटा कला के अनुज (25), आनापुर के सक्षम यादव (9), हसनापुर के राजकुमार (40), दीपेमऊ के महेंद्र (28) और पूरे महुआरी के शिवा (18) सहित अन्य लोग शामिल हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमल पटेल ने बताया कि सोमवार को कुल 110 मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया, जिनमें 35 नए मरीज शामिल थे। उन्होंने बताया कि कुत्ते के काटने की स्थिति में घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और बिना देर किए अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन की पूरी डोज लेना बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

विवाहिता की मौत पर पति समेत पांच पर केस दर्ज

लालगंज, प्रतापगढ़। फांसी के फंदे से लटक कर विवाहिता द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटना में पुलिस ने पति समेत पांच ससुरालीजनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। लालगंज कोतवाली के देल्हूपुर गांव निवासी धर्मेन्द्र यादव की पत्नी रीता 35 ने आठ फरवरी की रात ससुराल में घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। घटना को लेकर मृतका के भाई राकेश कुमार यादव पुत्र स्व0 गोकुल प्रसाद निवासी धनेही मोवाई थाना ऊंचाहार, रायबरेली ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन उसकी बहन को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। ससुरालीजनों की प्रताड़ना से मजबूर होकर उसकी बहन रीता ने आठ फरवरी की रात आत्महत्या कर ली। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

बिसवां में मतदाता सूची से कथित रूप से नाम हटाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओ ने की शिकायत

● **उपजिलाधिकारी व उपजिला निर्वाचन अधिकारी को सबोधित तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी को सौपा ज्ञापन**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर) विधानसभा क्षेत्र बिसवां में मतदाता सूची से कथित रूप से नाम हटाए जाने की शिकायत को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से उप जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिसवां को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार उमा शंकर त्रिपाठी को सौंपा गया। ज्ञापन पूर्व सपा प्रत्याशी अफजाल कौसर के नेतृत्व में दिया गया। समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से आशंका जताई कि कुछ स्थानीय स्तर पर मतदाता प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि मुस्लिम समाज एवं पीडीए वर्ग (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के मतदाताओं को कथित तौर पर गुमराह कर फॉर्म-7 भरवाए जा रहे हैं, जिससे उनके नाम मतदाता सूची से हटने की स्थिति बन रही है। पार्टी का कहना है कि इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें

जांच एवं पुष्टिः किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले प्रशासन स्वयं स्थल पर जाकर सत्यापन करे।

कार्रवाई की मांगः कथित रूप से धोखे से फॉर्म-7 भरवाने वाले तत्वों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। निष्पक्षता सुनिश्चित होः बीएलओ एवं निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कार्य करने के निर्देश दिए जाएं।

समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इन कथित गतिविधियों पर शीघ्र रोक नहीं लगाई गई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने एवं न्यायालय की शरण लेने पर विवश होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जाहिद अली, इजहार अली, लुकमान अली, जावेद, शावेज़ अंसारी, अनस अंसारी, इरफान अहमद, आमिर खान, समीर अंसारी, मोहम्मद अफजाल खान, सुनील यादव, रमाशंकर, नूरुद्दीन अंसारी, बबलू, अनुज यादव, गुफरान अंसारी, अशरफ सभासद, रिंकल जोशी, हसीब अंसारी, मुज़क्किर खान सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

अवैध संबंध के चलते हुई थी बृजभान की हत्या, घटना का पुलिस ने किया खुलासा, वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर, थाना त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चन्द्रकान्त पाण्डेय के नेतृत्व में थाना में 26 जनवरी को उजैनिया निवासी उदयराज पुत्र स्व0 रामदुलारे चौरसिया ने निवासी उजैनिया थाना त्रिलोकपुर में लिखित सूचना दिये कि छोटा भाई बृजभान पुत्र स्व0 रामदुलारे चौरसिया 25 जनवरी को शाम 4 बजे सौदा लेने गये थे कि देर तक घर न आने पर सवेरे खोजबीन के दौरान 26 की सुबह गांव के पूरब गेहूं खेत के पास बृजभान की लाश मिली ।किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दिया गया है ,उक्त घटना के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना त्रिलोकपुर पर मु0अ0सं0- 10/2026 धारा 103(1) बीएनएस (302 भा0 द0वि0) अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था, मुकदमे की गहनता से जाँच की और पुलिस घटना का खुलासा किया की उसी गांव की निवासी इन्द्रावती पत्नी रामचन्दर की संलिप्ता पाई गई। जिसमें पुलिस ने उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश मे आया कि बृजभान अपने ही गाँव के इन्द्रावती के साथ अवैध सम्बन्ध था।25 जनवरी की शाम को बृजभान व इन्द्रावती से फोन पर कहा सुनी व गाली गलौज हुई थी। उसी दिन शाम को बृजभान, मजनू के घर से दारु पीकर जा रहा था। बृजभान का अपने खेत के पास इन्द्रावती से मुलाकात हो गयी वही पर इन्द्रावती व बृजभान मे कहा सुनी व गाली गलौज हो गयी जिससे इन्द्रावती द्वारा अपने हाथ मे लिए लाठी से बृजभान के सिर पर मार दिया जिससे बृजभान की मौके पर मृत्यु हो गयी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला क़त्ल एक अदद बांस का सूखा डंडा अभियुक्ता के घर से बरामद किया गया।गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थानाध्यक्ष चन्द्रकान्त पाण्डेय, उ0नि0 शिवाकांत राय, हे0का0 अभिषेक सिंह, का0 नितिन पाठक, का0 सागर जायसवाल, म0 का0 प्रीती रही।

मन की पवित्रता में हुआ करता है प्रभु श्रीराम का दर्शन- आचार्य देवव्रत जी

मानस सम्मेलन में श्रीराम की महिमा का गुणगान सुन मगन हुए श्रद्धालु

लालगंज, प्रतापगढ़। नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज में मानस सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को कथाव्यास प्रयागराज से पधारे आचार्य देवव्रत जी महराज ने कहा कि मन की पवित्रता तथा चरित्र से ही श्रीराम की कृपा मिला करती है। उन्होने कहा कि भगवान की प्राप्ति का एक मात्र साधन मन की शुद्धता है। आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि प्रभु श्रीराम का चरित्र युवाओं के लिए आज के युग में सबसे अधिक सम्बल प्रदान करता है। उन्होने उदाहरण देते हुए बताया कि रावण ने भी सीताहरण के बाद राम के स्वरूप को धारण करने की कल्पना की थी। उन्होने कहा कि रावण को भगवान राम का स्मरण करते ही दूसरी महिलाएं मां के स्वरूप में दिखने लगी। आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि आज सनातन पर सबसे बड़ा संकट मानस की विकृति है। उन्होने कहा कि युवाओं को इन विकृतियों से बचाने के लिए चरित्र निर्माण की प्रेरणा प्रदान करना ही सनातन की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा है। उन्होने कहा कि भगवान श्रीराम भक्ति के अधीन हैं। उदाहरण के तौर पर सबरी तथा केवट प्रसंग सुनाते हुए कहा कि यह शुद्ध भक्ति भाव में प्रभु के आराधक रहे। उन्होने कहा कि भक्ति के सामने भगवान श्रीराम को स्वयं इन्हें दर्शन देना पड़ा। कथा में कथावाचक सचिन कृष्ण जी महराज का भी श्रद्धालुओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पहले सावित्री वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में हो रही कथा में श्रीराम दरबार के समक्ष कथा के संयोजक अनूप प्रतापगढ़ी, प्रधानाचार्य उमाशंकर मिश्र तथा अधिवक्ता ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने दीप प्रज्ज्वलन किया। संचालन साहित्यकार जयप्रकाश पाण्डेय सरल ने किया। श्रद्धालुओं का स्वागत शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य प्रदोष नारायण सिंह ने किया। इस मौके पर पं0 वीरेन्द्रमणि तिवारी, केशवराम ओझा, वैभव त्रिपाठी, उमेशपाल तिवारी, राजू मिश्र, मोनू पाण्डेय, रवीन्द्र तिवारी, श्रीधर तिवारी, दयाराम वर्मा, आचार्य प्रभाकर शुक्ल, राजा शुक्ला, संजय शुक्ला, दिनेश सिंह, साकेत मिश्र आदि रहे।

अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा शहडोल ने दिया कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन

● सिंहपुर में हुए कांड का आखिर दोषी कौन पुलिस य राघवेंद्र तिवारी सहित उसके सहयोगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा आज जिले के कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया हैं। जिसमें सिंहपुर थाना में हुए मारपीट और गांजे के झूठे केस में फाँसने को लेकर एक ज्ञापन दिया गया हैं। जिसमें मुख्य रूप से मामले को दबाने और अपराधियों को बचाव और भी आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा अपनी मांगो को रखी हैं।

जिले में हो रहे अपराध को रोकने की बात तो दूर जिले की पुलिसिया सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो गई। जहाँ पर कानून व्यवस्था जुगाड़ के आगे फेल हो तो ऐसे में क्या ही कहे। शहडोल जिले के सिंहपुर थाना में हुए आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ नियम कानून नहीं बल्कि जुगाड़ चलता हैं और जिसके पास हैं (जुगाड़) वो बरी जिसके पास नहीं (जुगाड़) वो दोषी।

जाँच के नाम पर खेल अपराधी अब भी घूम रहे बेखौफ

सिंहपुर थाना अंतर्गत ग्राम सिंहपुर में अभी हाल ही में मारपीट और गांजे के केस में एक नया मोड़ सामने आया जिसमे पुलिस ने मारपीट के आरोपी अमरेंद्र तिवारी सहित अन्य के ऊपर मामला तो पंजीबद्ध कर लिए हैं लेकिन गांजे वाले मामले में केवल जाँच ही कर रही । तीन दिन बीत जाने के बाद भी सिंहपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जबकि मौके में आई विटनेस भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तक कि पुलिस और मीडिया को वीडियो के माध्यम से मारपीट और गांजे की बात भी कही गई हैं। लेकिन सिंहपुर पुलिस कुछ भी कार्यवाही नहीं किए हैं।

अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा ने दिया ज्ञापन

कुशवाहा महासभा के द्वारा अपनी मांगों को रखते हुए ज्ञापन में कहा हैं कि लगभग 10:00 ग्राम पड़मनिया करौंदिया टोला में मुकेश कुशवाहा के साथ मारपीट अमरेंद्र तिवारी ,दिलीप शर्मा व प्रकाश तिवारी के द्वारा किया गया है। सिंहपुर थाने में फोन कर अमरेंद्र तिवारी ने पुलिस को बुलाया जिसमें पुलिस कर्मी मनोज बरमानिया व रामजी डोगरे आए उनके आते ही अमरेंद्र तिवारी गांजे की पोटली अपने पास से निकालकर मुकेश कुशवाहा के पास फेंक दिया और पुलिस वाले को जबरन उठाने के कह रहे थे , पुलिस ने मुकेश कुशवाहा को थाने ले गए , जहां फरियादी को थाने में पुलिसकर्मी दीपक सिंह परिहार के द्वारा मुकेश कुशवाहा के साथ लात और घुसो से मारपीट किया गया। इस घटना में कुशवाहा महासभा की निम्न मांगे हैं, जिसमें अमरेंद्र तिवारी के पास गांजे जैसे मादक पदार्थ आया कहां से जिसकी जांच कर तस्कर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

2. सिंहपुर थाने में पदस्थ रामजी डोगरे व मनोज बामनिया को पुलिस कर्मियों के द्वारा मादक पदार्थ तस्करों को संरक्षण दी जाती है , इन दो उपरोक्त पुलिस वालों को सस्पेंड कर सिंहपुर थाने से हटाए जाने की मांग करते हैं।

3. सिंहपुर थाने में पदस्थ दीपक सिंह परिहार के द्वारा लगभग 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच पीड़ित मुकेश कुशवाहा के साथ थाने के अंदर मारपीट किया गया ,थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जाए , पुष्टि होने पर दीपक सिंह परिवार को भी सस्पेंड कर सिंहपुर थाने से हटाए जाने की मांग कुशवाहा महासभा के द्वारा मांग की जाती हैं।

एनएच 730 बाइपास निर्माण से जल निकासी बाधित होने की आशंका, मौके पर पहुंची टीम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर- गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के बाइपास निर्माण कार्य के दौरान उस्का बाजार नगर पंचायत अंतर्गत सेखुई वार्ड में मुख्य जल निकासी नाले को बंद किए जाने से क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। सभासद पूनम त्रिपाठी द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद प्रशासन व निर्माण संस्था सक्रिय हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को मौके पर एक टीम पहुंची और वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया। सभासद की आशंका पर सहमति जताते हुए अंडर बाईपास बनवाने का आश्वासन दिया गया है। सभासद ने शिकायत किया था कि बाईपास निर्माण होने से नाला अवरुद्ध हो जाएगा और पूरे वार्ड में बारिश के मौसम में पानी जमा हो सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। बाइपास निर्माण के कारण वार्ड के दो प्रमुख रास्ते भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वार्ड दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

सभासद ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए पुराने जल निकासी नाले पर पुलिया का निर्माण कराया जाए तथा दोनों प्रभावित रास्तों पर अंडरपास बनाया जाय, ताकि जल निकासी बाधित न हो और लोगों की आवाजाही सुचारु बनी रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बरसात के दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं।

अजगर सांप को पकड़कर रोहिन नदी में छोड़ा

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवां थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुर टोला मोतीपुर के समीप मंगलवार को फिर अजगर सांप निकलने से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों की मदद से अजगर सांप को पकड़ कर रोहिन नदी में छोड़ दिया गया है। क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुर टोला मोतीपुर रोहिन नदी के समीप होने के कारण बीते बुद्धवार को अजगर सांप निकल कर गांव के समीप आ गया था। मंगलवार को फिर अजगर सांप निकलने की सूचना पर भीड़ इकट्ठा हो गयी। ग्रामीण गिरीश चंद्र साहनी, पिंटू साहनी, सन्नी चौधरी, रवि साहनी, विकास साहनी, शिवमोद चौधरी, शिवा जायसवाल, अमन चौधरी, जितेन्द्र बरुण सहित आदि लोगों ने अजगर सांप को रेस्क्यू कर रोहिन नदी में छोड़ा। इस संबंध में उत्तरी चौंक रेंज के घोड़हवा बीट फारेस्टर जितेन्द्र कुमार गौड़ ने बताया कि अजगर सांप निकलने की सूचना हमें नहीं है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर का किया निरीक्षण

● एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में लिया भाग

एचपीवी टीकाकरण को लेकर दिया जागरूकता का संदेश, स्वस्थ-शिक्षित भारत के लक्ष्य पर जोर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के निर्माणाधीन परिसर के निरीक्षण पर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर स्थित कुलाधिपति वाटिका में मौलिसरी का पौधरोपण किया तथा निर्माणाधीन सरोवर का नामकरण 'कुलाधिपति सरोवर' किया। राज्यपाल ने प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, कुलपति आवास सहित अन्य निर्माणाधीन संरचनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से पूर्ण किए जाएं, ताकि विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा का एक सशक्त केंद्र बनाया जा सके।

इसके उपरांत राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लिया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर बेटियों को एचपीवी वायरस से सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों को एचपीवी टीके की दो डोज लगाए जाने से लगभग 95 प्रतिशत तक सुरक्षा संभव है। यह टीका 26 वर्ष की आयु तक लगाया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि ऐसे जनकल्याणकारी अभियानों में इंडस्ट्री और निजी कंपनियों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे जागरूक बनें और अपनी

बच्चियों का टीकाकरण अवश्य कराएं।

उन्होंने कहा कि तीन वर्ष का बच्चा अनिवार्य रूप से आंगनबाड़ी जाए और छह वर्ष का बच्चा विद्यालय अवश्य जाए। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब कोई भी बच्चा बीमार या अशिक्षित न रहे। उच्च शिक्षा में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला बनाया गया है, जिससे विद्यार्थी विज्ञान के साथ कला और भाषा जैसे विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं।उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता व समान सम्मान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चियों को पोषण किट तथा टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील, कुलपति रवि शंकर सिंह, जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योति राय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉ. मुकेश रस्तोगी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय समिति की बैठक 11 फरवरी को, भूतपूर्व सैनिक व आश्रित शिकायती पत्र करें प्रस्तुत

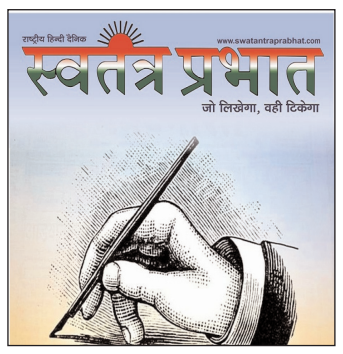

प्रतापगढ़। जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारी कमाण्डर दिनेश कुमार मिश्र (अ0प्रा0) ने जनपद के समस्त भूतपूर्व सैनिकों उनको आश्रितों को सूचित किया है कि जिला स्तरीय समिति की बैठक 11 फरवरी 2026 को अपरान्ह 1.30 बजे कै प कार्यालय में होगी जिसमें अपना शिकायती प्रार्थना पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय प्रतापगढ़ में दो प्रतियों के साथ प्रस्तुत करें।

दिल्ली में खुले गड्ढे और नालों बन रहे मौत का सबब सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली, जनकपुरी हादसे में 25 वर्षीय युवक कमल की मौत के बाद संबंधित एजेंसियो को सरकार की ओर से चेताया गया है। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रही है। दिल्ली में विकास परियोजनाओ के तहत खोदे गए गड्ढे और नाले जानलेवा साबित हो रहें हैं।कई स्थानों पर गड्ढे खुले हुए हैं। लक्ष्मी नगर, वेलकम, सीलमपुर,मंडोली, हर्ष बिहार, आनंद पर्वत सहित ईस्ट, वेस्ट नार्थ और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में बिना बैरिकेड्स और चेतावनी चिह्नों के ये खुले पड़े हैं। दिल्ली मेट्रो,जल बोर्ड और नगर निगम से जुड़ी इन लापरवाहियों के कारण हादसे का ख़तरा बढ़ गया है। जगह जगह दुर्घटनाओं को दावत दे ते मलबों के ढेर पडे मिले जिन्हें उठाने वाल कोई नहीं है। बिना बेरिकेट्स लगाएं हों रहां निर्माण कार्य यह साबित करता है की ठेकेदार ज्यादा मुनाफे कमाने के लिए सुरक्षा मानकों का उलंघन कर रहे हैं। आउटर दिल्ली के मुंडका इलाके में सड़कों पर खुले नालों की वजह से भी बड़ा हादसा हो सकता है, वहीं कैपिटल पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे रोहतक रोड पर नाले के निर्माण का काम चल रहा है।

नतीजतन खोदे गए गड्ढे खुले छोड़ दिए गए हैं।इसी तरह ईस्ट दिल्ली के विनोद नगर में सीवर सिस्टम के खुले मैन होल हर वहां से गुजरने वाले स्टूडेंट्स की जान के लिए खतरा बने हुए हैं।॥- 9 की सर्विस रोड पर विनोद नगर अंडरपास के सामने लगभग दस फुट चौड़ा खुला नाला किसी भी हादसा करवा सकता है। जनकपुरी में एक मौत के बाद भी हालत नहीं बदले है। दिल्ली में जगह जगह खुले गड्ढे और नालों इस बात का गवाह है कि संबंधित विभाग जनकपुरी जैसी घटना होने का इंतजार कर रहा है।

तिलक नगर के गणेश नगर एवं महावीर नगर में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। गणेश नगर एवं महावीर नगर (तिलक नगर) में रविवार को एक विशाल हिंदू सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में श्रीमन जगद्गुरु स्वामी महायोगी महाराज की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से उपस्थित जनसमूह को सनातन मूल्यों से जुड़ने का संदेश दिया।कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत प्राध्यापिका अर्थशास्त्री डॉ. हरीश ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महेंद्र दीवान थे। वंदेमातरम् गायन से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में श्री सनातन धर्म मंदिर गणेश नगर की महिला भजन मंडल की ओर से राम नाम के भजनों की सुन्दर प्रस्तुति की।भजन प्रस्तुत करते हुए मंडल के दिपक धवन,इंदु गुप्ता,सोना रावत व अन्य सदस्यों ने उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया।जिसके उपरान्त स्थानीय समाज सेवी कर्मवीर त्यागी एवं उनकी टीम द्वारा ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया,जबकि हरीश पुरोहित और स्वयंसेवकों ने आत्मरक्षा की नियुध कला तकनीकों का प्रदर्शन कर लोगों को आत्मसुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर राकेश सब्बरवाल ने 'पंच परिवर्तन' विषय पर प्रेरक उद्बोधन दिया।इसी के साथ स्थानीय छात्र छात्राओं ने 'पंच परिवर्तन 'पर एक नुक्कड़ नाटिका भी प्रस्तुत की।इस हिंदू सम्मेलन के अंतर्गत विगत 1 फरवरी को श्री सनातन धर्म मंदिर गणेश नगर में चित्रकला सभा स्पर्धा व हनुमान चालीसा पठन स्पर्धा का आयोजन किया गया था,कार्यक्रम में इन स्पर्धाओं के विजेताओं को प्राध्यापिका अर्थशास्त्री डॉ. हरीश ,हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी व सचिव सुमीत अलख के हाथों सम्मानित किया गया।हनुमान चालीसा स्पर्धा के विजेताओं ने सामूहिक चालीसा पठन की प्रस्तुति दी।कार्यक्रम में दिलीप एवं उनकी टीम द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही।हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के सचिव सुमीत अलघ प्रस्तावना करते हुए समाज में संस्कार,सुरक्षा और संगठन की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। समिति के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को सांस्कृतिक रूप से जागरूक और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंच का संचालन राकेश सब्बरवाल एवं राकेश शर्मा ने किया।सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संघचालक अमर सिंह,स्थानीय पार्षद हरीश ओबेरॉय तथा विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष सेठ राम निवास गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सनातन धर्म मंदिर, गणेश नगर समिति सहित क्षेत्र की अन्य धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने आयोजन में सहयोग दिया और उनके सदस्य बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन भारत माता की सामूहिक आरती,प्रसाद वितरण के साथ समाज में एकता, संस्कार और सनातन संस्कृति को मजबूत करने के संकल्प के साथ किया गया।

गोपालगंज में डीएम ने स्वयं खायी फाइलेरिया से बचाव की दवा, बोले- सामूहिक सहभागिता से सफल होगा अभियान

● 27 फरवरी तक चलेगा सर्वजन दवा सेवन अभियान

आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर खिलायेंगी फाइलेरिया से बचाव की दवा

27.94 लाख से अधिक लाभार्थियों को दवा खिलाने का लक्ष्य

2 वर्ष से कम उम्र के बच्चें और गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जायेगी दवा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोपालगंज (बिहार)- फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रमा का शुभारंभ जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने स्वयं फाइलेरिया से बचाव की दवा खाकर अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर उन्होने कहा कि फाइलेरिया मुक्त जिला बनाने प्रशासन की प्राथमिकता है। इस अभियान में सामूहिक सहभागिता जरूरी है। सभी लोगों से अपील है कि फाइलेरिया से बचाव की दवा जरूर खाएं। खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यह दवा पूरी तरह से प्रभावी और सुरक्षित है। 27 लाख 94 हजार से अधिक लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए 11 फरवरी को मेगा एम.डी.ए. कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बूथ लगाकर स्वास्थ्यकर्मी अपने सामने लक्षित लाभार्थियों को दवा का सेवन कराएंगे। इसके अलावा, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी अगले 14 दिनों तक घर-घर जाकर छूटे हुए लोगों को दवा खिलाना सुनिश्चित करेंगे। दवा खाली पेट नहीं खानी है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अत्यंत गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इस अभियान से बाहर रखे गए हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 1230 आशा कार्यकर्ता (ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर) एवं 124 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन डॉ. बीरेंद्र प्रसाद, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, डीएमओ डॉ. सुषमा शरण, डीपीएम धीरज कुमार, डीसीएम, डीपीसी, जिला वीबीडी सलाहकार अमित कुमार, वीडीसीओ राजेश कुमार, वीडीसीओ प्रशांत कुमार, बीपीन कुमार सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी-कर्मी और सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद थे।

शिक्षण संस्थानों व कार्यालयों में भी होगा दवा सेवन: जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतिम तीन कार्यदिवसों में सभी शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, कारागृह एवं अन्य संस्थानों में बूथ लगाकर फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका घर-घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगी। इस क्रम में ष्ठश्वष्ट 100 द्वद्द एवं द्यड्डद्गठ्ठस्त्रड्ड5श्वद्यद्ग की गोलियां पात्र व्यक्तियों को दी जाएंगी।

दवा खाने के बाद हल्के लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं सिविल सर्जन डॉ. बीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। उच्च रक्तचाप, शुगर, गठिया अथवा अन्य सामान्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को भी ये दवाएं अवश्य लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दवा खाने के बाद मितली, चक्कर या हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि शरीर में मौजूद फाइलेरिया के परजीवी दवा के प्रभाव से नष्ट हो रहे हैं। किसी भी असुविधा की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक प्रखंड में रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात रहेगी।

बचाव ही है सबसे बड़ा उपाय: जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. सुषमा शरण के अनुसार फाइलेरिया होने पर इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, लेकिन समय पर फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर इस बीमारी से बचाव पूरी तरह संभव है। विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली दवा का सेवन अवश्य करें और जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने में सहयोग दें।

सैकडों छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजाल की दी गई गई खुराक

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रतनपुर में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व कम्पोजिट विद्यालय सहित करीब आधा दर्जन स्कूलों में मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आरबीएसके टीम रतनपुर के चिकित्सकों द्वारा सैकडों छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजाल की खुराक दी गई है। आरबीएसके टीम के चिकित्सक डॉ एसके त्रिपाठी ने बच्चों किशोर किशोरियों को कृमि नियंत्रण दवाई के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए उन्हे कृमि की दवाई लेने के लिए तथा शरीर में होने वाले तमाम प्रकार के किटाणुओं से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया। साथ ही यह भी बताया कि एक वर्ष से 19 वर्ष के सभी बच्चों, किशोर व किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवाई एल्बेंडाजाल निःशुल्क खिलाई जाएगी। इस दौरान चिकित्सक डॉ जेपी चौधरी, जितेन्द्र त्रिपाठी, सुनील चन्द्र, रामसुभाष, कस्तूरबा स्टाफ रेनूलता, साईदा खातून, मधु अग्रहरी, प्रियंका चौरसिया, सुनीता कुमारी, शिक्षा मित्र गोविन्द साहनी, साफिया खातून आदि मौजूद रहे।